



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 29.12.24

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 330/24 धारा 109(1)/61/3(5)
बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.12.24 को थाना छपरौली पर वादी साहिब उर्फ बिट्टू पुत्र अजीज निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि मो०सा० सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई सादाब के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर



के आधार पर थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 330/24 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्त रोहित पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 61,3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 330/24 धारा 109(1)/61/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- नि. श्री जितेन्द्र कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
2. नि. श्री राकेश कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बागपत ।
3. उ.नि. श्री अनुज कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4. है.का.410 राजवीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।
5. का.633 जहांगीर थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना दोघट दिनांक-29.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-दीपक पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मांगरौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2 अभियुक्त इन्दुपाल पुत्र पकाशा निवासी गाम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट बागपत

2-का० 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.12.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 857/24 धारा 115(2)/131/333/351(2)/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाहे के सरिया बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.12.2024 को थाना बडौत पर वादी सुनील पुत्र भोपाल निवासी छपरौली चुंगी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी अभियुक्तों 1.साकिब, 2.आदिल पुत्र सगीर, 3.सलमान पुत्र फतेह मौहम्मद व अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के घर में घुस कर वादी व वादी के भतीजे के साथ मारपीट की गई जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु०अ०सं० 857/24 धारा 115(2)/131/333/351(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 857/24 धारा 115(2)/131/333/351(2)/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लोहे के सरिया बरामद हुए हैं।


उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1-आदिल पुत्र सगीर नि0 मौ0 गडरियान पट्टी चौदरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-राजा पुत्र शराफत निवासी मोती महल के सामने नई बस्ती पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 सागर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 226 धर्मेन्द्र कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 666 रघुवीर कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 29-12-2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 740 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 740 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खलील पुत्र छोटे निवासी लंगडे की बगीची बिडू का टीला माता कालोनी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 740 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 60 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 29.12.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 267/24 धारा
191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 01
अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.24 को थाना बिनौली पर वादिया ने सूचना कि अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र गजे सिंह, 2.अनुज पुत्र प्रमोद, 3.अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह, 4.प्रवीण पुत्र सुबोध व 02 महिला समस्त निवासीगण ग्राम मालमाजरा द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डो व हथियारो से लेस होकर वादिया व वादिया के पति रमेशपाल के साथ गाली-गलौच कर लाठी डन्डो से मारपीट की व वादिया के पति रमेशपाल को अभियुक्त अनुज पुत्र प्रमोद द्वारा तमंचे से गोली मार दी जिससे वादिया के पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 267/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/352/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट – उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों प्रमोद पुत्र गजे, अनुज पुत्र प्रमोद, अनिल उर्फ लीलू पुत्र जीत सिंह व प्रवीण पुत्र सुबोध को थाना बिनौली पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री कुलदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 2-म0उ0नि0 दीपशिखा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 3-है0का0 15 यशविन्दर थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 4-म0का0 326 रश्मि पंवार थाना बिनौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 29.12.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 352/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 10 कुन्तल गन्ना व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद

।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 29/12/2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी रजनीश कुमार पुत्र बृजराज सिंह तौल लिपिक ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.इसरार पुत्र आस मोहम्मद व 2.आजाद पुत्र इमामुद्दीन निवासीगण ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा बरसिया गन्ना क्रय केंद्र से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में 20 कुन्तल गन्ना चोरी करके ले गये है। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 352/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 352/24 धारा

303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 10 कुन्तल गन्ना व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.इसरार पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2.आजाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदी का विवरण –

● चोरी किया हुआ 10 कुन्तल गन्ना।

● घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-है0का0 546 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

